रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22042020-219097

CG-DL-W-22042020-219097

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 22—मार्च 28, 2020, शनिवार / चैत्र 2 —चैत्र 8, 1942

No. 12] NEW DELHI, MARCH 22—MARCH 28, 2020, SATURDAY/CHAITRA 2—CHAITRA 8, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

सा.का.नि. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1982 को, जहां तक उनका संबंध ऑपरेशन थियेटर परिचर के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ऑपरेशन थियेटर परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, ऑपरेशन थियेटर परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ऑपरेशन थियेटर परिचर	*04 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड

					और लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ख) मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार में प्रमाण-पत्र। **आवश्यक अनुभव:** कम से कम 50 बिस्तरों वाले किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में कार्य करने का न्यूनतम छह महीने का अनुभव। **टिप्पण:** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह- ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष; 2. ऑपरेशन थियेटर विभाग के अध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देख रहे उपनिदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा.सं. ए.11018/51/2019-एमएच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the17th March, 2020

G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjang Hospital Group 'D' Posts Recruitment Rules, 1982 insofar as it relates to the post of Operation Theatre Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Operation Theatre Attendant in Safdarjang Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjang Hospital, New Delhi, Operation Theatre Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and Other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Operation Theatre Attendant	*04 (2020) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial	Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable	Between 18 and 25 years. Relaxable for Government Servants up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall

					be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya , Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himanchal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 10th class pass from a recognised Board and (ii) Certificate in First Aid from a recognised Institute. **Essential Experience** : Minimum six months experience of working in an Operation Theatre of a recognised hospital of minimum 50 beds. **Note :** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made,	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group–'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman; 2. Head of the Operation Theatre Department, Safdarjang Hospital -Member;	Not applicable.

	3. Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	

[F. No. A.11018/51/2019-MH-II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

सा.का.नि.76.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (प्रशासन अधिकारी) और सहायक निदेशक (जीव रसायन) भर्ती नियम, 1978 को, जहां तक कि उनका संबध प्रशासन अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में प्रशासन अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, चेंगलपट्टु, तमिलनाडु, प्रशासन अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासन अधिकारी ।	01 (एक)* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की डिग्री । 2. किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वाशासी निकाय या कानूनी निकाय में पर्यवेक्षण क्षमता में प्रशासन और स्थापन कार्य में तीन वर्ष का अनुभव । **वांछनीयः** किसी सरकारी कार्यालय या	लागू नहीं होता	एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वाशासी निकाय या कानूनी निकाय में पर्यवेक्षण क्षमता में लेखा मामलों के लेनदेन में अनुभव । **टिप्पण 1:** अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:** अनुभव संबधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्रों, स्वाशासी या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुंसधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी: (क)(i)जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100) और वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800रु) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित किए गए अनुभव रखता हो । **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर	**समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे.—** 1. उपमहानिदेशक (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) –अध्यक्ष; 2. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. निदेशक (केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान) -सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. ए-12018/2/2008-कुष्ठ]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 17th March, 2020

G.S.R. 76.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, (Administrative Officer) and Assistant Director (Biochemistry) Recruitment Rules,1978 insofar as they relate to the post of Administrative Officer, expect as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu, Tamilnadu, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu, Tamilnadu, Administrative Officer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any Other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer	1(One)* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Ministerial	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)	Not applicable	Not exceeding thirty-five years. **Note 1**: Relaxable for Government Servants up to five years' in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government. **Note 2**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, the Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (1) Degree of a recognised University or Institute. (2) Three years experience in administration and establishment works in supervisory capacity in Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body. **Desirable:** Experience in dealing with accounts matters in supervisory capacity in Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public	Not applicable	One year	By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

Service Commission, for reason to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a department promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government, State Government, Union Territories, autonomous or statutory organisations, public sector undertakings, Universities or recognised research institutes: (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department or (ii) with two years' regular service in level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) and level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100); and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). **Note 1:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Deputy Director General (Directorate General of Health Services) - Chairman; 2. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services – Member; 3. Director (Central Leprosy Training and Research Institute) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. A-12018/2/2008-Lep.]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

उत्तर पूर्वी परिषद् सचिवालय

शिलांग, 26 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 77.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द (वर्ग 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम 2013 का अधिक्रांत करते हुए, परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमत करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोत्तर अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे ।

3. भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता, आदि.—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोत्तर अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी ।

4. निरर्हता.—जिसनेः—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों, या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और भी कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू है वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप से रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है ।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों से केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन आव्यूह में	प्रवरणं पद अथवा गैर प्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वालों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कर्मचारीवृन्द	46*(2020) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग' अराजपत्रित' अनुसचिवय	वेतन बैंड 1, वेतनमान (रु.18,000—56,900)	लागू नहीं	आयु 18 से 25 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय ।) **टिप्पणी 1-** आयु-सीमा अवधारित अभ्यर्थियों से आवदेन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले, पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए

					विहित की गई है।) **टिप्पणी 2-** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम होगी जहां तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती प्रणाली:** सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमलेन द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा

यदि भर्ती प्रोन्नती या प्रतिनियुक्तियां या आमलेन द्वारा की जाती हैं तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमलेन किया जाएगा	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है?	जिन परिस्थितयों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	**वर्ग 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:** 1. निदेशक, — अध्यक्ष या उप सचिव (प्रशासन), पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग 2. नियंत्रक लेखा, — सदस्य क्षेत्रीय आय और लेखा कार्यालय गृह मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, शिलांग 3. उप सचिव, — सदस्य पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	लागू नहीं

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/39/2013]

एल. बेमोफा, उप-सचिव (प्रशासन)

NORTH EASTERN COUNCIL SECRETARIAT

Shillong, the 26th February, 2020

G.S.R. 77.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2013, insofar as it relates to Multi-Tasking Staff, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Multi-Tasking Staff, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix .—**The number of said post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .—** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings .—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff	46*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 1 (Rs. 18,000-56900)	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time-to-time). **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent pass from a recognized Board	Not applicable	Two years for direct recruits	100 % by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1 Director or Deputy Secretary (Administration), North Eastern Council Secretariat, Shillong. - Chairman 2 Controller of Accounts, Regional Pay and Accounts Office, Ministry of Home Affairs, Shillong. - Member 3 Assistant Secretary, North Eastern Council Secretariat, Shillong. - Member	Not applicable

[F. No. NEC/ADM/39/2013]

L. BEIMOPHA, Dy. Secy. (Admn.)

शिलांग, 26 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 78.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय, शिलांग (आशुलिपिक ग्रेड-III) भर्ती नियम, 2005 का अधिक्रमण करते हुए, परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्वारा पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय शिलांग में आशुलिपिक ग्रेड-II और आशुलिपिक ग्रेड-III के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, (आशुलिपिक ग्रेड-II और आशुलिपिक ग्रेड-III) वर्ग 'ग' भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा-विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

4. भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.— उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

5.अनर्हतात्.— जिसने,—

(क) किसी ऐसी महिलाएं/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों, या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और भी केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहाँ लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाला कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन आव्यूह में	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वालों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक ग्रेड-III	*8(2020) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अन्तर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग' (अराजपत्रित), सचिवीय	लेवल-4 25500-81100	लागू नहीं	आयु-सीमा 18-27 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों को आयु में 40 वर्ष तक छूट का प्रावधान)

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती प्रणाली:** सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यलयों द्वारा 12वीं या इसके समतुल्य उत्तीर्ण। (ii) आशुलेखनः 10 मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की दर से। प्रतिलेखनः 50 मिनट (अंग्रेजी) कम्प्यूटर पर।	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती। **नोटः** पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य किसी परिस्थिति में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए हुई रिक्ति को केंद्र सरकार में नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले और कॉलम 7 अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धरित अर्हताएं रखने वाले कर्माचारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है।

यदि भर्ती, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ती/ आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	**वर्ग 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे—** 1. निदेशक (प्रशासन) या उप सचिव (प्रशासन) — अध्यक्ष उत्तर-पूर्वी परिषद् सचिवालय, शिलांग 2. नियंत्रक या उप नियंत्रक या सहायक लेखा नियंत्रक, — सदस्य क्षेत्रीय वेतन और लेखा कार्यालय (खुफिया ब्यूरो), शिलांग 3. वरिष्ठ निजी सचिव, उत्तर-पूर्वी परिषद् सचिवालय, — सदस्य शिलांग	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है।

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/39/2013]

एल. बेमोफा, उप-सचिव (प्रशासन)

Shillong, the 26th February, 2020

G.S.R. 78.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Stenographer Grade II and Stenographer Grade III), Group 'C' Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade - III in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :-

1. **Short title and commencement .—** (1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Stenographer Grade – III (Group 'C') Post Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix .—** The number of posts, its classification, Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .—**The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade - III	08* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level 4 (Rs. 25500 – 81100/-)	Not applicable	Between eighteen and twenty - seven years of age. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time-to-time.) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through the Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed

					for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti districts and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : (i) 12th class or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) **Dictation** : 10 minutes @ 80 w.p.m. **Transcription** : 50 minutes (English) on computer.	Not applicable	Two years for direct recruits	Direct Recruitment through Staff Selection Commission. **Note –** Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from officers of Central Government or State Governments or Union Territories or statutory organizations holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :** 1 Director (Administration) or Deputy Secretary (Administration), North Eastern Council Secretariat, Shillong. : Chairman 2 Controller or Deputy Controller or Assistant Controller of Accounts, Regional Pay and Accounts Office (Intelligence Bureau), Shillong. : Member 3 Senior Private Secretary , North Eastern Council Secretariat, Shillong. : Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. NEC/ADM/39/2013]

L. BEIMOPHA, Dy. Secy. (Admn.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.04.22 18:20:09 +05'30'